रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 205] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 10, 2012/वैशाख 20, 1934
No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 10, 2012/VAISAKHA 20, 1934

IndiaCode

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2012

सा.का.नि. 350(अ).—केन्द्रीय सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उपधारा (2) के खंड (घ) और खंड (ङ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**— इन नियमों का संक्षिप्त नाम "भारत की संसद के 60 वर्ष" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए दस रुपये और पांच रुपये के सिक्कों का निर्माण नियम, 2012 है । ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. (क) **"भारत की संसद के 60 वर्ष"** के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए केन्द्रीय सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) दस रुपये ;
(ii) पांच रुपये ;

(ख) निर्मित किए जाने वाले उपरोक्त अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं, डिजाइन और संघटन के अनुरूप होंगे, अर्थात् :--

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	क्रकचनों की संख्या	धातु संघटन
(1)	(2)	(3)	(4)
दस रुपये	वृत्ताकार 27 मिलीमीटर	-	**बाह्य वलय (एल्युमीनियम कांसा)**

	(द्वि-धात्वीक)		तांबा - 92% एल्युमीनियम - 6% निकल - 2% **केन्द्रीय भाग** **(तांबा निकेल)** तांबा - 75% निकल - 25%
पांच रुपये	वृत्ताकार 23 मिलीमीटर	100	**निकल पीतल** तांबा - 75% जस्ता - 20% निकल - 5%

डिजाइन

1. दस रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत लिखी होगी, उसकी बांई परिधि पर देवनागरी में "भारत" शब्द और दांई परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा । सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक "₹" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "10" भी होगा ।

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में संसद भवन की आकृति होगी जिसके साथ ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत की संसद के 60 वर्ष" लेख और निचली परिधि पर अंग्रेजी में "60 YEARS OF THE PARLIAMENT OF INDIA" लिखा होगा । संसद भवन की आकृति के ऊपर वर्ष "1952-2012" उत्कीर्ण किया जाएगा ।

2. पांच रुपये

मुख भाग

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तंभ का सिंह शीर्ष होगा जिसके नीचे "सत्यमेव जयते" इबारत लिखी होगी, उसकी बांई परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत" शब्द और दांई परिधि पर अंग्रेजी में "INDIA" शब्द होगा । सिंह शीर्ष के नीचे रुपया का प्रतीक "₹" और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य "5" भी होगा ।

IndiaCode

पृष्ठ भाग

सिक्के के इस भाग पर मध्य में संसद भवन की आकृति होगी जिसके साथ ऊपरी परिधि पर देवनागरी लिपि में "भारत की संसद के 60 वर्ष" लेख और निचली परिधि पर अंग्रेजी में "60 YEARS OF THE PARLIAMENT OF INDIA" लिखा होगा । संसद भवन की आकृति के ऊपर वर्ष "1952-2012" उत्कीर्ण किया जाएगा ।

3. **मानक वजन तथा अनुज्ञात उपचार** :-- सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 4 के उपबंधों के अधीन "भारत की संसद के 60 वर्ष" के अवसर पर स्मरणोत्सव मनाने के लिए निम्नलिखित अंकित मूल्य के सिक्कों का मानक वजन और अनुज्ञात उपचार नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रूप में होगा, अर्थात् :--

सारणी

अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुज्ञात उपचार	
		संघटन में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
दस रुपए	7.71 ग्राम (बाह्य वलय 4.45 ग्राम और केन्द्रीय भाग 3.26 ग्राम)	बाह्य वलय -(एल्युमीनियम कांसा) एल्युमीनियम - 5.5% से 6%, निकल - 1.75% से 2% और शेष तांबा है । केन्द्रीय भाग - (तांबा निकेल) तांबा और निकल दोनों के लिए 1% तक कम या ज्यादा, अर्थात तांबा 74% से 76% तक और निकेल 24% से 26% तक का हो सकेगा ।	2.5% तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन में 7.52 ग्राम से 7.90 ग्राम तक अंतर हो सकता है ।
पांच रुपये	6 ग्राम	तांबा और जस्ता के लिए 1/100 तक कम या ज्यादा अर्थात तांबा में 74% से 76% तक और जस्ता में 19% से 21% तक का अंतर हो सकेगा और निकल में 1/200 तक कम या ज्यादा अर्थात् 4.5% से 5.5% तक के बीच का अंतर हो सकेगा ।	1/40 तक कम या ज्यादा अर्थात् वजन से 5.85 ग्राम से 6.15 ग्राम तक का अंतर हो सकता है ।

[फा. सं. 2/4/2012-सिक्का]

अरुण सोबती, अवर सचिव (सी और सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th May, 2012

G.S.R. 350(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011 (11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement :- These rules may be called the coinage of Ten Rupees and Five Rupees coins to commemorate the occasion of **"60 years of the Parliament of India, Rules, 2012".** They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. (a) The coins of the following denominations shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government to commemorate the occasion of **"60 YEARS OF THE PARLIAMENT OF INDIA"**, namely:-

(i) Ten Rupees;
(ii) Five Rupees;

(b) the coins of the above denominations shall conform to the following dimensions, designs and composition, namely:-

Denomination of the coin	Shape and outside diameter	Number of Serrations	Metal Composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Ten Rupees	Circular 27 millimeters (Bi-metallic)	-	**Outer Ring** **(Aluminium Bronze)** Copper - 92% Aluminium – 6% Nickel - 2% **Centre Piece** **(Cupro Nickel)** Copper - 75% Nickel - 25%
Five Rupees	Circular 23 millimeters	100	**Nickel Brass** Copper – 75% Zinc – 20% Nickel – 5%

DESIGN

1. TEN RUPEES

OBVERSE

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते " inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "10" in International Numerals below the Lion Capitol.

REVERSE

The face of the coin shall bear the image of the Parliament House in the centre, with inscription " भारत की संसद के 60 वर्ष " in Devnagri script on the upper periphery and " **60 YEARS OF THE PARLIAMENT OF INDIA**" in English on the lower periphery. The year "1952 – 2012" shall be inscribed above the image of the Parliament House.

2. FIVE RUPEES

OBVERSE

The face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "सत्यमेव जयते " inscribed below, flanked on the left periphery with the word "भारत" in Devnagri script and on the right periphery flanked with the word "INDIA" in English. It shall also bear the Rupee symbol "₹" and denominational value "5" in International Numerals below the Lion Capitol.

REVERSE

The face of the coin shall bear the image of the Parliament House in the centre, with inscription " भारत की संसद के 60 वर्ष " in Devnagri script on the upper periphery and " **60 YEARS OF THE PARLIAMENT OF INDIA**" in English on the lower periphery. The year "1952 – 2012" shall be inscribed above the image of the Parliament House.

3. Standard weight and remedy allowed: - The Standard weight of the coins of the following denominations, coined to commemorate the occasion of **"60 years of the Parliament of India"**, under the provisions of section 4 of the Coinage Act, 2011, (11 of 2011) and the remedy allowed in making of such coins shall be as specified in the following Table, namely: -

TABLE

Denomination of the coin	Standard Weight	Remedy Allowed	
		In Composition	In Standard Weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Ten Rupees	7.71 Grams (Outer Ring 4.45 gms and centre piece 3.26 gms).	Outer Ring - (Aluminium Bronze) Aluminium-5.5% to 6%, Nickel – 1.75% to 2% and remainder are Copper. Centre Piece – (Cupro Nickel) Plus	Plus or minus 2.5% that is to say, the weight could vary from 7.52 grams to 7.90 grams.

167440/12-2

IndiaCode

		or minus 1% for both Copper and Nickel that is to say, the Copper may vary from 74% to 76% and Nickel from 24% to 26%.	
Five Rupees	6 Grams	1/100th plus or minus for Copper and Zinc, that is to say, Copper could vary from 74% to 76% and Zinc from 19% to 21% and 1/200th plus or minus for nickel that is to say Nickel could vary from 4.5% to 5.5%.	1/40th plus or minus that is to say, the weight could vary from 5.85 grams to 6.15 grams.

[F. No. 2/4/2012-Coin]

ARUN SOBTI, Under Secy. (C and C)

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.